न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा राज0

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
72 / 2013	04.06.2013	27/01/28

पीठासीन अधिकारी– दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– श्रीमती निर्मला आयु 38 वर्ष पत्नी बाबू लाल जी जाति नायक निवासी हाल मंगलेश्वर मन्दिर के पास, छावनी रामचन्द्रपुरा कोटा जिला कोटा राज

(वादीनी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगणकी ओर से – श्री प्रमोद कुमार चौधरी एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट बाबत घोषण दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1– यह कि ग्राम चन्द्रावला तहसील दीगोद में सिलिग सिवायचक भूमि खसरा नं. 311 की 18 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित चली आ रही थी जिसमें से 5 बीघा भूमि बिशना आत्मज गणेश नायक चन्द्रावला को आवंटित की गई थी जिसका इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत् 2036 से 2039 में हो रहा है नकल जमाबन्दी संलग्न है।

2–यह कि उपरोक्त भूमि में प्रतिवादी के सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सेटलमेन्ट कार्य किया गया जिसके दौरान खसरा न 311 मिन की 5 बीघा के निम्न खसरा नम्बरान कायम कर बिशना पुत्र गणेश की गैर खातेदारी में दर्ज की गयी। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2043 से 2062 व मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2043 से 2062 पेश है।

खसरा नम्बर 397 की 0.28 हेक्टर खसरा नम्बर 450 की 0.02 हेक्टर खसरा नम्बर 451 की 0.35 हेक्टर

कुल 3 किता की 0.65 हेक्टर

3–यह कि बिशना जी को 5 बीघा भूमि आवंटन की गयी थी व दखल दिया गया था किन्तु सेटलमेन्ट विभाग द्वारा 5 बीघा के 0–80 हेक्टर के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में 0–65 हेक्टर भूमि दर्ज कर 0–15 हेक्टर भूमि कम दर्ज की गयी।

4–यह कि प्रतिवादी के केचमेन्ट विभाग द्वारा भूसुधार कार्य किया गया ओर बाद भूसुधार कार्य के खसरा नं. 450 व 451 की 0.37 हैक्टर भूमि के स्थान पर ग्राम चन्द्रावला की खसरा नम्बर 941 की 0–06 हेक्टर व ग्राम अतरालिया के माल की खसरा नम्बर 1050

की 0–28 हेक्टर भूमि विशना जी को दी गयी। तथा पुराने खसरा नम्बर 397 की 0–28 हेक्टर के बाद भूसुधार नये ख0न0 1165 की 0–26 हेक्टर भूमि दी गयी। नकल इख्तलाफ केचमेन्ट व्लाक चन्द्रावला व नीमोदा वर्ष 1997–98 व 1999–2000 पेश है।

5–यह कि खातेदार बिशना जी को सेटलमेन्ट बाद सेटलमेन्ट के अधिकारियों द्वारा 0–15 हेक्टर भूमि कम दी गयी किन्तु मोके पर 5 बीघा यानी 0–80 हेक्टर भूमि पर कब्जा होने के कारण 0–15 हेक्टर भूमि दिये जाने हेतु आवेदन किया था जिस पर श्रीमान सहायक भूअभिलेख अधिकारी कम तहसीलदार दीगोद ने बिशना जी को कम दी गयी 0–15 हेक्टर के बाबत ग्राम अतरालिया की खसरा नम्बर 1049 की 0–11 हेक्टर व ग्राम चन्द्रावला की खसा नम्बर 940 की 0–03 हेक्टर कुल 0–14 हेक्टर भूमि विशना जी की आराजी के पास सुरक्षित रखी गयी व 0–01 हेक्टर भूमि सामान्य कटोती में काटी गयी। इस आदेश का इन्द्राज फर्द इन्तखलाफ केचमेन्ट ब्लाक उदपुरा में हो रहा है। किन्तु उक्त नोट का अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में नहीं हो सका।

6– यह कि खातेदार बिशना जी ने अपने खाते की उक्त भूमि सहित अन्य गांव की भूमि की वसीयत वादनी के पक्ष में आलेखित की जिसके आधार पर न्यायालय के आदेशानुसार उक्त खसरा नम्बरान 941, 1165 व 1050 की भूमि वादनी के खातेदारी में दर्ज करदी गयी। बिशना जी की मृत्यु के बाद बिशना जी के कब्जे काश्त की 5 बीघा के अनुसार 0–80 हेक्टर भूमि पर वादनी का कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसमें से 0–65 हेक्टर रिकार्ड के अनुसार खातेदारी में दर्ज करदी व कम की गयी 0–15 हेक्टर भूमि को सिवाय चक में शामिल कर दिया गया तथा उक्त 0–14 हेक्टर भूमि का अमल नहीं होने से उक्त भूमि बिशना जी अथवा वादनी के खाते दर्ज नहीं हो सकी 7– यह कि वादनी सहायक भूअभिलेख अधिकारी कम तहसीलदार दीगोद के आदेश क्रमांक 315 दिनांक 26–6–97 के अनुसार ग्राम अतरालिया की खसरा नम्बर 1049 की 0–11 हेक्टर व ग्राम चन्द्रावला की खसरा नम्बर 940 की 0–03 हेक्टर कुल 0–14 हेक्टर सिवाय चक भूमि वादनी अपने खाते दर्ज कराने व खातेदार घोषित होने की अधिकारिणी है।

8– यह कि वादनी ने प्रतिवादी को उपरोक्त कमी पूर्ति ग्राम अतरालिया की खसरा नम्बर 1049 की 0–11 हेक्टर व ग्राम चन्द्रावला की खसरा नम्बर 940 की 0–03 हेक्टर कुल 0–14 हेक्टर सिवाय चक भूमि में से किये जाने व राजस्व रिकार्ड में वादनी के खाते में ग्राम अतरालिया की खसरा नम्बर 1049 की 0–11 हेक्टर व ग्राम चन्द्रावला की खसरा नम्बर 940 की 0–03 हेक्टर कुल 0–14 हेक्टर भूमि अंकित करने खातेदार के रूप में दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में कई मर्तबा निवेदन किया तो प्रतिवादी ने वादनी के कथन पर कोई ध्यान नही दिया और कमी पूर्ति नहीं की गयी जिससे वादनी को नुकसान हो रहा है।

9– यह कि कम की गयी भूमि जो बिशना जी को दिये जाने हेतु सुरक्षित रखी गयी है उक्त आदेश का अमल बाद केचमेन्ट नहीं होने के कारण वादनी को नुकसान होने की पूर्ण सम्भावना है। इस पर वादनी ने उक्त भूमि वादनी के खाते दर्ज करने की दिनांक 25–5–2013 को कहने पर इन्कार कर दिया यदि प्रतिवादी ने ग्राम अतरालिया की खसरा

म्बर 1049 की 0–11 हेक्टर व ग्राम चन्द्रावला की खसरा नम्बर 940 की 0–03 हेक्टर कुल 0–14 हेक्टर सिवाय चक भूमि से कमी पूर्ति कर खाते दर्ज नहीं की गयी तो इससे वादनी को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी।

9–यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में वादनी के लिये माननीय न्यायालय में घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादी के खिलाफ पेश करना आवश्यक हो गया है। इस कारण यह वाद पेश है।

10–यह कि वाद कारण प्रतिवादी के सेटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियों ने उक्त पुराने रकबा के अनुसार बाद सेटलमेन्ट भूमि कम दर्ज करने पर तथा बिशना जी द्वारा कमी पूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने के बाद सहायक अभिलेख अधिकारी कम तहसीलदार दीगोद द्वारा ग्राम अतरालिया की खसरा नम्बर 1049 की 0–11 हेक्टर व ग्राम चन्द्रावला की खसरा नम्बर 940 की 0–03 हेक्टर कुल 0–14 हेक्टर सिवाय भूमि सुरक्षित रखने के आदेश पारित करनेव उसका अमल राजस्व रिकार्ड में न होने के कारण व दिनांक 25–5–13 को ग्राम अतरालिया की खसरा नम्बर 1049 की 0–11 हेक्टर व ग्राम चन्द्रावला की खसरा नम्बर 940 की 0–03 हेक्टर कुल 0–14 हेक्टर भूमि वादनी के खाते दर्ज करने से इन्कार करने पर तथा प्रतिवादी द्वारा वादनी के उपरोक्त भूमि के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने व वादनी को बैदखल करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ।

11–यह कि प्रतिवादी भूमि की लेण्ड होल्डर होने से उसे वाद में बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाकर यह वाद पेश किया गया है।

12–यह कि वाद अर्जेन्ट एवं इमीजिएट रिलीफ से सम्बन्धित है। इस कारण प्रतिवादी राजस्थान सरकार को धारा 80 जाप्ता दीवानी के तहत 2 माह का नोटिस दिया जाना सम्भव नहीं है इस कारण बिना नोटिस दिये वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसके लिए धारा 80 (2) जाप्ता दीवानी का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

13–यह कि माननीय न्यायालय को वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है कारण कि वादग्रस्त भूमि माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है। ओर वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अतः वाद पेश कर प्रार्थना है कि वादनी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे–

1. कि ग्राम चन्द्रावला तहसील दीगोद की पुराने ख0न0 311 की 5 बीघा यानी 0–80 हैक्टर के स्थान पर बाद सेटलमेन्ट कम की गयी 0–15 हेक्टर की कमी पूर्ति ग्राम अतरालिया की खसरा नम्बर 1049 की 0–11 हेक्टर व ग्राम चन्द्रावला की खसरा नम्बर 940 की 0–03 हेक्टर कुल 0–14 हेक्टर सिवाय चक भूमि से पूर्ति कर वादनी के खाते दर्ज की जावे। तथा उक्त भूमि का वादनी को खातेदार घोषित किया जावे।

2–कि स्थाई निषेधाज्ञा की इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रतिवादी ग्राम अतरालिया की खसरा नम्बर 1049 की 0–11 हेक्टर व ग्राम चन्द्रावला की खसरा नम्बर 0 की 0–03 हेक्टर कुल 0–14 हेक्टर भूमि से वादनी को बैदखल नहीं करे, उक्त भूमि किसी को आवंटन व नियमन नहीं करे। उक्त कृत्य न तो स्वंय करे और न अपने प्रतिनिधि द्वारा करावे।

3. कि प्रतिवादी को आदेश दिया जावे कि वे राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त कर अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावे।

4. कि वादनी को प्रतिवादी से मुकदमें का खर्चा दिलाया जावे।

5. कि अन्य सहायता हो वह भी वादनी को प्रदान की जावे।

वादीगण की ओर से संलग्न दस्तावेज

1. नकल जमाबन्दी ग्राम चन्द्रावला सम्वत 2036–2039
2. मिलान क्षैत्रफल संवत 2043–2062
3. जमाबंदी संवत 2043–2062
4. जमाबंदी संवत 2063–66
5. जमाबंदी संवत 2063–2066 ग्राम अतरालिया
6. फर्द इन्तलाफ ग्राम चन्द्रावला जमाबंदी संवत 2067–2070

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद से जवाब सरकार प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। तत्पश्चात पत्रावली में तनकियात कायम की गई। पत्रावली को साक्ष्य पर नियत किया गया। साक्ष्य में वादीनी स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस पर नियत किया गया।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने प्रस्तुत वाद पत्र की मदों को ही अपनी बहस में दोहराया।पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात,के आधोपान्त अवलोकन, अध्ययन व बहस के कथनों पर मनन एवं अन्य संलग्न दस्तावेजात का गहन अध्ययन उपरान्त यह स्पष्ट है कि वादीनी सिवायचक भूमि को अपने खाते दर्ज करवाना चाहती है किन्तु इस संबंध में अपने वाद को साबित करने में असमर्थ है। अतः वादीनी का वाद खारिज किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27/01/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

उनवान

पीठासीन अधिकारी– दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– श्रीमती निर्मला आयु 38 वर्ष पत्नी बाबू लाल जी जाति नायक निवासी हाल मंगलेश्वर मन्दिर के पास, छावनी रामचन्द्रपुरा कोटा जिला कोटा राज

(वादीनी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगणकी ओर से – श्री प्रमोद कुमार चौधरी एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट

मिसल नं 72/2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादिनी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीनी का वाद खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 27/01/26 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
थ्मलान	0	0	मिलान	0	0

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद